संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना को दो वर्षों में पूरा करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेजेज में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक

- **यमुना जल समझौते की बैठक 20 अप्रेल को, पिलानी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी टास्क फोर्स की बैठक**
- **भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेषाधिकारियों की होगी नियुक्ति**
- **ईसरदा पेयजल परियोजना को जून तक किया जाए पूरा**

एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएगी। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रेल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि परवन वृहद् बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना में बांध निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन वितरण प्रणाली से लेकर डिग्गी एवं पंप हाउस कार्यों में गति लाई जाए। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उनके निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति निर्बाध हो : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में पेयजल प्रबंधन एवं समर कंटीन्जेंसी प्लान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलक्टर्स की अनुशंषा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी अधिकारियों को फील्ड में रहकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था

- **'फील्ड में रहें अधिकारी, जलापूर्ति व्यवस्था रखें सुचारू'**

को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप एवं हैण्डपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल से संबंधित पाइपलाइनों, पुराने नलकूप एवं हैंडपंप के मरम्मत कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए संचालित राज्य एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, कंट्रोल रूम में दर्ज होने वाली शिकायतों का प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण भी किया जाए। उन्होंने बिजली कनेक्शन लेकर नलकूपों एवं ट्ययूबवैलों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने नलकूपों हेतु भंडार में स्पेयर पंप-मोटर्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि हर ग्राम में पेयजल एवं इससे संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर दो जल मित्र बनाए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग लिया जा सके।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

वक्फ की आय गरीब मुसलमानों के लिए होगी खर्च : मुख्यमंत्री

- **मोदी राज में 15 फीसदी मुस्लिम आबादी को 70 फीसदी तक मिला योजनाओं का लाभ : डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल**
- **कांग्रेस और अन्य दलों के लिए मुसलमान वोट का औजार, भाजपा के लिए मुसलमान देश के सम्मानित नागरिक : मदन राठौड़**

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों की आदत हो गई है कि वे हर अच्छे कार्य का विरोध करते है और समाज में अफवाह फैलाते है। उन्होंने समाज में सीएए को लेकर भी मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी जैसी बेबुनियाद अफवाह फैलाई थी, आज वे लोग कहा है। ऐसी ही अफवाह वक्फ कानून के खिलाफ फैलाने की कोशिश कर रहे है जो कि देश और समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि नया कानून गरीब मुसलमानों, महिलाओं और अन्य वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसी भी संपत्ति पर वक्फ का दावा कर दिया जाता था, गरीब अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं सकता था। अब उसे 90 दिन के लिए नोटिस दिया जाएगा और वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में समृद्ध होगा। इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा, अवैध दावें रूकेंगे और संपत्तियों के प्रमाणिकरण से उनका उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित करवाया जाएगा। इससे होने वाली आय को मुस्लिम समुदाय पर खर्च किया जाएगा। जिसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा। आज जो विरोध कर रहे है वे मुसलमानों के भले के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुलती हुई पोल के कारण कर रहे है।

राष्ट्रीय संयोजक एवं भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने 65 साल तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक माना और उनकी बेहतरी के लिए कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस के राज में मुस्लिम सिर्फ मोची, पेंटर, दर्जी, बैंड बाजा बजाने वाला और पंचर निकालने वाला बनकर रह गया। वहीं भाजपा के महज 11 साल के कार्यकाल में केंद्रीय नौकरियों में 5 प्रतिशत के मुकाबले 9.5 प्रतिशत भागीदारी मुस्लिम वर्ग से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, वहीं भाजपा गर्व और स्वाभिमान के साथ अपने आप को भारतीय कहने वाले नागरिक के रूप में उनको खड़ा करना चाहती है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको सिरे से नकारते हुए देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का मानकार बिना किसी जाति भेद भाव के काम किया। जिसका परिणाम है कि 15 प्रतिशत आबादी वाला मुस्लिम समाज आज पीएम आवास योजना में 31 प्रतिशत, उज्जवला योजना में 37 प्रतिशत, मुद्रा में 36 प्रतिशत, जनधन योजना में 42 प्रतिशत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 33 प्रतिशत और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन गारंटी योजना में 70 प्रतिशत लाभान्वित हुआ है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि नया कानून मुस्लिमों के कल्याण के लिए है। इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आ ान किया कि कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने भ्रामक प्रचार का सकारात्मक पक्ष रखते हुए माकुल जवाब दें। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेसी दुष्प्रचार करते थे कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, आज 11 साल के शासन में मुसलमानों की तरक्की हुई है और उन्हें प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिला। कांग्रेस एवं अन्य दलों के लिए मुसलमान वोट का औजार है, जबकि भाजपा के लिए मुसलमान देश के सम्मानित नागरिक है। इसलिए मोदी जी कहते है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो समाज का कोई भी वर्ग विकास में अपनी भागीदारी से पिछड़ना नहीं चाहिए।

कार्यशाला में मंच पर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कानून मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ उपस्थित थे। इससे पूर्व अभियान के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी, वहीं मंच संचालन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित हमीद खान मेवाती ने किया।

कम वसूली वाले प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को नोटिस दें : मंजू राजपाल

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना

- **'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का करें व्यापक प्रचार-प्रसार'**

चाहिए। इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय कर इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं।

राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। शुरुआत से ही प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए योजना की जानकारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए।

बैठक में भूमि विकास बैंक के अधकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमाण्ड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामलों में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन में समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया।

गिव अप अभियान में अब तक 17.52 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा : गोदारा

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में जयपुर जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्रों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने के उपरांत नए लाभार्थियों के जोड़ने एवं खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़ने हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया गया।

- **'खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ होने से जुड़े 19.70 लाख नए लाभार्थी'**
- **अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी**

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाई जाने से प्रदेश के करोड़ों खाद्य सब्सिडी धारकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार वंचितों को उनका हक दिलाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार फील्ड विजिट कर योजनाओं की प्रगति के बारे में फीडबैक ले। जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं ताकि वे समुचित लाभ ले सकें। आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों को खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रेरित करने के लिए गत वर्ष शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत आज तक 17.52 लाख अपात्र लोगों ने स्वतः खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। इस अभियान के माध्यम से अपात्रों द्वारा एनएफएसए से नाम हटाने के कारण प्रदेश सरकार को 324 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत प्रतिवर्ष होगी। साथ ही संपन्न व्यक्तियों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने से बचे हुए अन्न का वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा देने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गोदारा ने कहा कि एनएफएसए से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ भी नहीं ले सकेंगे। इससे राज्य सरकार को होने वाली बचत का भी उपयोग वास्तविक हकदारों के कल्याण हेतु किया जा सकेगा। उन्होंने कहा की स्वत: खाद्य सब्सिडी नहीं छोड़ने वाले सक्षम लाभार्थियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाए। राशन वितरण में अनियमिता बरतने वाले राशन डीलरों पर भी विभागीय अधिकारी उचित कार्रवाई करें।

बैठक में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि संपन्न व्यक्तियों का कर्तव्य है की वह गरीबों के हक में खाद्य सब्सिडी छोड़ें। उन्होंने कहा की सक्षम लोगों द्वारा छोड़ी गई सब्सिडी गरीब के मुंह का निवाला बनती है। खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़े सभी संपन्न व्यक्तियों को गिव अप अभियान में भाग लेकर इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहभागिता निभानी चाहिए।

बैठक में हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, चौमू विधायक शिखा मिल बराला, उपेन यादव, चंद्र मोहन मीणा, सांगानेर प्रधान भंवर कंवर, नगर पालिका चौमू अध्यक्ष विष्णु सैनी, रामपुरा डाबड़ी प्रधान हरदेव यादव, शाहपुरा प्रधान मंजू शर्मा, मनोहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत, शाहपुरा नगरपालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी सहित विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने ई.डी. ऑफिस के बाहर धरना दिया

जयपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से पेश चार्जशीट को लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में जयपुर में ज्योति नगर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में आगे भी सड़कों पर उतरने के लिए कार्यकर्ताओं का आव्हान किया।

- **राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्ज शीट का विरोध**

धरने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कहा कि हमारी सरकार ने गांधीवादी तरीके से सरकार चलाई। हम भी ऐसे ही कार्रवाई करते तो भाजपा के कई नेता जेल में होते। उन्होंने कहा कि मदन दिलावर पर 14 मुकदमे दर्ज हैं, उनका काम केवल अनर्गल बयानबाजी करना ही है और उसे शिक्षा जैसा पवित्र महकमा दिया गया है। हमारी सरकार में ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होती तो वो जेल में होते। इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारियों का ईमान भाजपा के पैरों में रखा हुआ है, हमारे कुछ नेता ईडी के डर से कांग्रेस पार्टी छोड़ गए और जिनके ईमान जिंदा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पंवार पर प्रधानमंत्री ने 70 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और 7 दिन बाद ही उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शरमा कांग्रेस में थे तब उन पर खूब आरोप लगाए थे, लेकिन वह भी भाजपा में जाकर उनकी वाशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए।

धरने में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा दी है, मुझे जान का खतरा है। भाजपा के लोगों ने एक कार्यक्रम के दौरान मुझ पर हमला किया था, हमारी सरकार की कमी रही की भाजपा के लोगों पर हमारी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने को विधायक रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष आर आर तिवाड़ी,कांग्रेस नेता सुनील शर्मा सहित कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

नेशनल हेराल्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द कर देना गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के देशभर में धरने और प्रदर्शन करने की घोषणा पर कहा कि धरना प्रदर्शन उनका अधिकार है पर उन्हें जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। राठौड़ ने नेशनल हेराल्ड मामला में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1937 में नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था उस समय 5000 शेयर होल्डर थे, यह संपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों की है किसी खानदान की जागीर नहीं है। यह कंपनी जब बन रही थी तब सरदार पटेल ने इसके लिए हो रहे धन संग्रह पर सवाल उठाया था कि जिस तरह से लोगों से पैसा लिया जा रहा है यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्ता ने भी इसके लिए धन इकट्ठा किया था पर जो स्वतंत्रता सेनानियों की प्रॉपर्टी थी वह अब खानदान की प्रॉपर्टी बना दी गई।

- **'50 लाख में हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा, 76 फीसदी मां-बेटे की भागीदारी'**
- **'भूल केवल वोट बैंक के लिए के दंगाईयों का साथ दे रही है ममता बेनर्जी'**

राठौड़ ने कहा कि 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया, कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए दिए। एक राजनीतिक दल किसी प्राइवेट बॉडी को लोन नहीं दे सकती, यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जब नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लोन नहीं चुका पाई तो कॉर्पोरेट षड्यंत्र करके गांधी परिवार के पास संपत्ति आ जाए इसके लिए यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई गई।

उन्होंने कहा कि इस कंपनी में 38 फीसदी शेयर सोनिया गांधी के और 38 फीसदी शेयर राहुल गांधी के पास रखे गए। शेष शेयर मोतीलाल बोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज जैसे लोगों के पास थे। इस कंपनी के नाम 9 करोड़ के इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर दिए गए केवल 50 लाख रुपए में। जिस कंपनी को यह शेयर दिए गए उस कंपनी में 76 फीसदी की भागीदारी माता और पुत्र की थी, जिसकी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल में हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी। वह भी इस यंग इंडिया के नाम पर ट्रांसफर हो गई और 90 करोड रुपए जो कांग्रेस ने दिए वह राइट ऑफ कर दिए गए। यह एक बड़ा षड्यंत्र था हजारों करोड रुपए की प्रॉपर्टी को हड़पने का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी ने मोतीलाल बोरा, पवन बंसल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबसे बुलाकर पूछा पर किसी के पास भी जवाब नहीं था। 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का राइट ऑफ हो जाना और करोड़ों की संपत्ति एक अनजानी सी अनाम सी कंपनी के हाथ चले जाना यह गांधी परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल हेराल्ड को सरकार द्वारा संपत्ति दी गई थी उसे खुर्द बुर्द करने का यह भ्रष्टाचार का खुला आचरण है।

बजट घोषणाओं का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : दिलावर

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया।

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 की विभागीय बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को समय से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

दिलावर आज बुधवार को पंचायती राज भवन स्थित सभागार में विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के लम्बित प्रकरणों, कार्यों के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों के रात्रि विश्राम के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करे। उन्होंने स्वामित्व योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणाओं के लंबित प्रकरणों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों और रात्रि विश्राम की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में गंदगी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के साथ वनस्पति सीड बैंक के संबंध में एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। अंत में बैठक में डॉ. जोगाराम शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुहम्मद जुनैद, निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, सलोनी खेमका, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।